

202601150400014 / अ-62

प्रति,


अ-62

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)  
बस्तर (छ0ग0)

विषय :- निजी भूमि में लगे निलगिरी वृक्षों को काटने की सूचना बाबत ।

महोदय जी,

विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि 10 से 12 वर्ष पूर्व ग्राम कुम्हली में निलगिरी हमारी जमीन में वन विभाग के द्वारा लगाया गया था जो कि वृक्ष बढ़ा होने के बाद किसान अपने निजी भूमि की निलगिरी काटकर बेच सकता है कहा गया था वन विभाग के द्वारा जो कि मैं अपनी जमीन से निलगिरी काटकर निजी उपयोग के लिये बेच रहा हूं लगभग पेड़ काटने योग्य हो गया है पेड़ काटकर मैं अपनी निजी जमीन में कोदा, कुटकी, हरवा, उड़द आदि की खेती करना चाहता हूं, ग्राम पंचायत कुम्हली में पंचनामा कर पूरी जमीन की खसरा निम्नानुसार है :-

क्रं.	नाम	पिता का नाम	खसरा	रकबा	हस्ताक्षर
1.	पूरन	लक्ष्मण	1406	2.02 हे0	

अतः खाते का विवरण दर्शाते हुये श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बस्तर जिला बस्तर को सूचना बाबत ।

संलग्न :-


1. नक्शा, खसरा, बी- वन की प्रति ।
2. आधार कार्ड की प्रति ।
3. सीमांकन रिपोर्ट की छायाप्रति ।



आवेदक

पूरन पिता लक्ष्मण  
ग्राम - कुम्हली, तह0- भानपुरी  
जिला- बस्तर, छ0ग0

बाबत 01



20-01-2024

12/10/24